Publication: Business Standard
Edition: Chandigarh/Pune/Delhi

Date: Monday, 24th March, 2014

खाते को नहीं पड़ा रहने दें बट्टे खाते

बैंक, बीमा कंपनियों और ईपीएफओ के पास बेकार पड़े पैसे के दावे के लिए थोड़ी कोशिश करना सही कदम है। इस बारे में विस्तार से बता रही हैं **प्रिया नायर**

दिसंबर, 2012 के अंत में बैंकों के पास कुल 3,652 करोड़ रुपये की ऐसी जमाएं थीं, जिनका कोई दावेदार सामने नहीं आ रहा है। वहीं, मार्च, 2013 के अंत में बीमा कंपनियों के पास 4,865 करोड़ रुपये की ऐसी पॉलिसियां थीं, जिनके लिए कोई दावा नहीं किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास 22,000 करोड़ रुपये की जमाओं का कोई दावेदार नहीं आ रहा है।

ऐसी क्या वजह है कि लोग अपने ही धन के लिए दावा नहीं करते? वजह बहुत सी हो सकती हैं। भविष्य निधि (पीएफ) के पैसे के मामले में सबसे सामान्य वजह यह है कि लोग नौकरी बदलते हैं और इस राशि का दावा करना भूल जाते हैं। बहुत से लोग नौकरी बदलते समय अपने वेतन खाते को भी भूल जाते हैं। अपनी बैंक जमाओं को भूलने का एक सामान्य कारण दूसरे शहर में तबादला होना रहता है। बीमा राशि के मामले में आमतौर पर इसलिए दावा नहीं किया जाता, क्योंकि मृतक पॉलिसीधारक के परिवार को पॉलिसी के बारे में पता नहीं होता है और वे समय पर राशि का दावा नहीं कर पाते। ज्यादातर मामलों में दावे का निपटान चेक या बैंक ड्राफ्ट के जरिये किया जाता है। अगर ये लाभार्थी के पास इन्हें भुनाने की अंतिम तारीख के बाद पहुंचते हैं तो इस राशि का दावा नहीं हो पाता है।

इस धनराशि के लिए दावा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए थोड़ा समय देने और प्रयास करने की जरूरत होती है। नियामकों ने बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि उन्हें अपनी वेबसाइट पर बिना दावे वाली जमाओं और पॉलिसियों का विवरण देना होगा। इससे ग्राहकों के लिए अपनी राशि के लिए दावा करना आसान होगा।

कैसे करें दावा

जो बैंक जमाएं कम से कम दो साल से निष्क्रिय पड़ी हैं, उन्हें बिना दावे वाली जमाएं माना जाता है। हालांकि इन खातों का धन बैंक के पास जमा रहता है और इस पर ब्याज भी बढ़ता रहता है। लेकिन इसका भुगतान तभी किया जाता है, जब खाता धारक या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति (खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में) धन के लिए दावा करता है। एकमात्र शुल्क जो बैंक काटता है, वह न्यूनतम बैलेंस न बनाए रखने पर काटे जाना वाला शुल्क है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर बिना दावे वाली जमाओं का विवरण दर्शाना होगा और इन्हें हर 6 महीने बाद अद्यतन करना होगा। बिना दावे वाली जमा के दावे के लिए एक खाताधारक को 'अपने ग्राहक को जानो' का प्रमाण देना होगा, जिसमें पहचान और निवास का प्रमाण शामिल है। सावधि जमाओं के मामले में आपसे यह पूछा जा सकता है कि परिपक्वता पर राशि के लिए दावा क्यों नहीं किया गया? सरकारी क्षेत्र के एक बैंक के खुदरा व्यवसाय के प्रमुख ने बताया कि अगर शाखा प्रबंधक को व्यक्ति की पहचान को लेकर संदेह है तो वह किसी अन्य पहचान के लिए कह सकता है जैसे उसी बैंक में किसी अन्य खाताधारक की जमानत दिलाना। अगर जमाकर्ता अपनी पहचान के बारे में शाखा प्रबंधक को संतुष्ट कर पाता है तो धन के दावे में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर खाता धारक का वारिस या मनोनीत व्यक्ति धनराशि का दावा कर रहा है तो बैंक उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र मांगेगा। लेकिन इसकी जरूरत तभी होती है, जब खाते में धन एक निश्चित राशि से ज्यादा होता है। उन्होंने कहा, 'उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र लेने में देरी हो सकती है, क्योंकि न्यायालय यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि धनराशि का और कोई दावेदार तो नहीं है। इसलिए मनोनीत व्यक्ति या वारिस को समाचार-पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित कराने के लिए कहा जा सकता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि धन सही व्यक्ति को दिया जा रहा है।' अगर कोई व्यक्ति किसी बैंक खाते जैसे पुराने वेतन खाते को इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसके लिए इसे बंद करना बेहतर होगा। साथ ही, परिपक्वता की तारीख सहित सावधि जमाओं की एक सूची बनाकर रखें, ताकि आपको सावधि जमा को समय पर भुनाना या इसका नवीनीकरण कराना याद रहे। इसके अलावा छह महीने में कम से कम एक बार खाते में लेन-देन जरूर करें, ताकि यह चालू रहे। वहीं खाता खोलते समय मनोनीत व्यक्ति का नाम डालना न भूलें।

बैंक खातों के लिए क्या करें?

बैंक खाते को चालू रखने के लिए छह महीने में कम से कम एक बार लेन-देन जरूर करें खाता खोलते समय किसी का नामांकन करें। इससे खाताधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मदद मिलती है लंबे समय से खाते में जमा राशि के दावे के लिए खाता संख्या, पहचान पत्र और बैंक व ग्राहक दोनों को जानने वाले व्यक्ति से गवाही दिलानी होगी। सभी सावधि जमाओं और उनकी परिपक्वता की तारीख को ध्यान में रखें।

पीएफ खाताधारकों के लिए क्या करें?

पीएफ का पैसा निकालने के लिए नियोक्ता को फॉर्म 19 (पीएफ के लिए) और फॉर्म 10 (पेंशन के लिए) भरकर जमा कराना होगा। यह काम त्याग-पत्र देते समय ही करना ज्यादा बेहतर होगा रद्द चेक मुहैया कराएं, जिससे आपके नियोक्ता को आपके बैंक खाते की जानकारी मिल जाएगी। पिछली नौकरी के पीएफ खाते को स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म 13 भरकर जमा कराना होगा।

बीमा पॉलिसियों के लिए क्या करें?

बीमा पॉलिसी के बारे में अपने परिवार को बताएं बैंक खाते या पते में बदलाव की सूचना बीमा कंपनी को दें पॉलिसी खरीदते समय किसी व्यक्ति को जरूर नामित करें।

बीमा पॉलिसियां

हाल में बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बीमा कंपनियों से सैटलमेंट की तारीख के बाद 6 महीने तक बिना दावे वाली पॉलिसियों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने को कहा है।

आईआरडीए ने कंपनियों से कहा है कि वे अगर राशि एक सीमा (जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए 10,000 रुपये और सामन्य बीमा पॉलिसियों के लिए 25,000 रुपये) से ज्यादा हो तो बैंक ड्राफ्ट या चेक के जरिये दावों का निपटान न करें। इन दावों का निपटान इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सैटलमेंट या नेट बैंकिंग के जरिये किया जाना चाहिए। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी पी नंदगोपाल कहते हैं कि अगर ग्राहक अपने बैंक खाते को अद्यतन नहीं करता है तो उसे पैसा मिलने की संभावना नहीं है। वह कहते हैं, 'बीमा कंपनियों के पास पॉलिसीधारक के बैंक खाते की जानकारियां होंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि 10-15 साल बाद यह खाता चालू होगा? यही वजह है कि कंपनियां चेक और बैंक ड्राफ्ट भेजती हैं। ग्राहक के साथ संपर्क करना एक मुद्दा है।'

किसी ग्राहक और उसके परिवार के सदस्यों के बीमा पॉलिसी के बारे में भूलने की घटना समूह बीमा जैसे मामले में ज्यादा होती है, क्योंकि पॉलिसीधारक के पास दस्तावेज नहीं होते हैं। दावा न किए जाने की एक अन्य वजह यह भी होती है कि चाहे मनोनीत व्यक्ति ने दावा कर दिया हो, लेकिन यह राशि उत्तराधिकारी को ही दी जाती है और वारिस की वैधता की जांच करने में समय लगता है।

नंदगोपाल ने सुझाव दिया कि दावों का भुगतान प्री-पेड कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिये किया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के मामले में यह पहले ही चलन में है। वह कहते हैं, 'तकनीकी रूप से ऐसा करना संभव है और कंपनियों को इस पर काम करना चाहिए।'

भविष्य निधि (पीएफ)

ईपीएफओ के आयुक्त के के जालान कहते हैं, 'ईपीएफओ के पास बिना दावे की कोई जमा राशि नहीं है, केवल ग्राहकों ने धनराशि के लिए दावा करने में देरी की है।'

बिना दावे वाली पीएफ जमाओं के पीछे मुख्य वजह नौकरी बदलते समय पीएफ खाते को स्थानांतरित करना भूलना है। पहले ग्राहक पैसा ईपीएफओ के पास ही जमा रहने देते थे, क्योंकि इस पर उन्हें ब्याज (2013-14 के लिए 8.75 फीसदी) मिलता रहता था। जालान कहते हैं कि हालांकि ईपीएफओ ने बंद खातों (ऐसा पीएफ खाता, जिसमें पीएफ पिछले तीन साल में जमा नहीं कराया गया है) पर ब्याज देना बंद कर दिया है। इससे बिना दावे की जमाएं कम हो गई हैं।

जालान ने इस बात को स्वीकार किया कि नौकरी बदलते समय पीएफ खाते के स्थानांतरण में दिक्कतें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर और प्रस्तावित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से इस समस्या का हल निकलेगा।

पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको अपने नियोक्ता को फॉर्म 19 (पीएफ के लिए) और फॉर्म 10 (पेंशन के लिए) भरकर जमा कराना होगा। त्यागपत्र देते समय ही इसके लिए आवेदन करना ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा एक रद्द चेक भी देना होता है, जो नियोक्ता को संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते की जानकारियां मुहैया कराता है। आमतौर पर नियोक्ता कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के दो महीने बाद पीएफ विभाग को कागजात भेजता है।

कर्मचारी को पैसा देने से पहले पीएफ विभाग कर्मचारी और नियोक्ता से संपर्क करता है और पैसा भेजने की एक संभावित तारीख बताता है। पीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए आपको फॉर्म 13 भरना होगा। आमतौर पर यह काम धन निकालने से जल्दी हो जाता है। जालान कहते हैं, 'इस समय पीएफ खाते को ट्रांसफर करने या पैसा निकालने में 10 दिन लगते हैं। हम इसे घटाकर 3 दिन करना चाहते हैं। हम बिना दावे की धनराशि को एक साल में 22,000 करोड़ से घटाकर 12,000 करोड़ रुपये के स्तर पर लाना चाहते हैं।'

A Joint Venture of
Bank of Baroda Legal & General Andhra Bank